न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–240/105/2013

उनवान

1. अनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा,
2. तरूण पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 14 वर्ष (नाबालिग),
3. चेतन पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 12 वर्ष (नाबालिग),
4. ममता पुत्री स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 17 वर्ष (नाबालिग),
5. अन्तिमा पुत्री स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 15 वर्ष (नाबालिग),

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता व कुदरती वली श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीयागण–

बनाम

1. भींवाराम पुत्र कानाराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. कमली देवी पत्नी गणेशराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ।
4. उप–पंजियक महोदय चौमूँ।
5. सारिका पुत्री स्व0 मुरलीधर, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–03.10.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर/दादा स्व0 भूरा पुत्र चौथू की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 412 कुल किता 1 का कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित थी। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर व दादा भूरा के इन्तकाल के बाद उक्त भूमि का फौती नामान्तकरण भूरा के वारिस पत्नी तथा दो पुत्रों के नाम से तस्दीक हो चुका है। जो भूमि आज भी अविभाजित हैं। जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 अपनी उक्त पैतृक भूमि पर काबिज काश्त है। जिसके हाल भू प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर बन गये जो खसरा नम्बर 778 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर, भूमि के बाबत प्रस्तुत किया गया था, वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरान्त उक्त विवादित आराजीयात के हाल रिसर्वे में हाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या 188 के हाल खसरा नम्बर 3101 रकबा 0.2580 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3111 रकबा 0.2730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.3050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3113 रकबा 0.2425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3114 रकबा 0.2951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0.1396 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 1.5132 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त हैं। वादीगण व स्व0 श्री भूरा पुत्र चौथू की पुत्रवधू व नाबालिंग पौत्र व पौत्रियां है। जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 का भूरा की खातेदारी भूमि में जन्म से ही 1/7–1/7 हिस्सा निहित है। नाबालिगों के हक हकूको की भूमि की किसी प्रकार से अन्य के नाम करने का कोई अधिकार नहीं हैं। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहते हुए प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसका आज तक कोई विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 5 अपने अपने 1/7–1/7 हिस्सों पर काबिज काश्त रह कर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत में फितूर आ जाने के कारण तथा नाबालिगों तथा विधवा औरतजात के हक हिस्सों की भूमि को हडप करने लग गये तथा दिनांक 01.02.2013 को जब वादीगण उक्त पैतृक भूमि पर काम कर रहे थे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हाथों में लाठियां लिये 2–3 अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये व वादीगण को भूमि का कब्जा छोडकर चले जाने की धमकी दी तथा वादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने ऐलानियां कहां कि तुम्हारा भूमि विवादग्रस्त से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और न ही हम तुम्हारे नाम से किसी प्रकार से भूमि विवादग्रस्त की दुरूस्ती नहीं करवायेगें। यदि कब्जा छोडकर नहीं गये तो जबरन लट्ठ के जोर पर बेदखल कर देगें तथा भूमि विवादग्रस्त का किसी दीगर सख्स को बेचान करेगे। जिस कारण यह वाद श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना लाजमी आया हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीयागण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वाद बाबत् घोषणा दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के पैतृक खातेदारी भूमि में जन्मजात (बाई बर्थ) प्राप्त अधिकार होने की घोषणा न्यायालय श्रीमान् से करवाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत आधारों पर दर्ज खातेदारी को दुरूस्त करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अकित करवाये व पर्चा लगान कायम करवाये। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर विवादित आराजीयात का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही वादीयागण के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादीयागण को बेदखल करें तथा प्रतिवादी संख्या 3 रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 4 किसी भी विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक नहीं

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बाद उक्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण सर्वथा ही मिथ्या एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार हैं। वादीगण संख्या 1 के पति तथा शेष वादीगणों के पिता स्व0 मुरलीधर शर्मा ने अपने जीवन काल में उक्त वर्णित भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/3 भाग को वादीगणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2000 जो कि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 106 क्रम संख्या 1676 पृष्ठ संख्या 76 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 206 के पृष्ठ संख्या 107 से 111 तक पंजिकृत किया गया था के जरिये विक्रय प्रतिफल राशि 1,10,000/– रूपये अक्षरे एक लाख दस हजार रूपये के बदले प्रतिवादीगण संख्या 1 भींवाराम को विक्रय कर कब्जा मालिकाना सम्भला दिया, जिसमें बाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मालिकाना हक अधिकार की उक्त भूमि 1/3 भाग में से 1/15 भाग अपने पारिवारिक खानगी खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर 75000/– रूपये अक्षरे पिच्चौतर हजार रूपये के बदले पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2006 को पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 223 के पृष्ठ संख्या 151 क्रम संख्या 2006004508 पर पंजिकृत किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 274 के पृष्ठ संख्या 1 से 8 तक चस्पा किया गया के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 कमली देवी पत्नी गणेशराम माली को विक्रय कर कब्जा मालिकाना सम्भला दिया जिस पर वे अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसका वादीगण को बखुबी ज्ञान है और यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि वादीगण को भूमि विक्रय का भी ज्ञान है और वे बन्दोबस्त की कार्यवाही बताकर न्यायालय को गुमराह करना चाहते है जिसमें कतई भी कामयाब नहीं हो सकते है और ना ही मिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को कोई आश्वासन दिया है। अतः वादी का वादीगण का वाद कब्जे काश्त, वाद कारण, क्षैत्राधिकार, तथा मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किये जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीया कायम की गई।

1. आया वादीगण विवादग्रस्त आराजी वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित कूनि वादीगण का पैतृक भूमि में जनमजात अधिकार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकित किया जाये। – जिम्मे वादीगण–
2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। – जिम्मे वादीगण–
3. आया प्रतिवादीगण वाद खारिज करने योग्य है। – जिम्मे वादीगण–

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने वाद के समर्थन में बयान गवाह अनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा का प्रस्तुत कर प्रदर्श–1 लगायत 6 प्रस्तुत किये गये। जो दस्तावेज प्रदर्श 1 मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2019–23, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2046–65, प्रदर्श–5 पर्चा खतोनी सम्वत् 2057–60, प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत 2061–64 पेश किये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब दावा के समर्थन में ना तो कोई दस्तावेज और ना ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अपने जवाब दावा के समर्थन में ना तो कोई दस्तावेज और ना ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। ऐसे में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा के अभाव में वादीगण का वाद स्वतः ही साबित होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 778 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर, भूमि जिसके हाल रिसर्वे में हाल खाता संख्या 188 के हाल खसरा नम्बर 3101 रकबा 0.2580 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3111 रकबा 0.2730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.3050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3113 रकबा 0.2425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3114 रकबा 0.2951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0.1396 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 1.5132 हैक्टेयर, भूमि विवादग्रस्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत अकित राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में से उनका नाम हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 को पैतृक खातेदारी भूमि में जन्मजात (बाई बर्थ) अधिकार होने से प्रत्येक का 1/7–1/7 भाग की घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावें तथा अमल दरामद किया जावें एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अनाधिकृत रुप से दखलन्दाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूँ

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–240/105/2013

उनवान

1. अनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा,
2. तरूण पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 14 वर्ष (नाबालिग),
3. चेतन पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 12 वर्ष (नाबालिग),
4. ममता पुत्री स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 17 वर्ष (नाबालिग),
5. अन्तिमा पुत्री स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा उम्र 15 वर्ष (नाबालिग),

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता व कुदरती वली श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीयागण–

बनाम

1. भींवाराम पुत्र कानाराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. कमली देवी पत्नी गणेशराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ।
4. उप–पंजियक महोदय चौमूँ।
5. सारिका पुत्री स्व0 मुरलीधर, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–240/105/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 778 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर, भूमि जिसके हाल रिसर्वे में हाल खाता संख्या 188 के हाल खसरा नम्बर 3101 रकबा 0.2580 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3111 रकबा 0.2730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.3050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3113 रकबा 0.2425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3114 रकबा 0.2951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0.1396 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 1.5132 हैक्टेयर, भूमि विवादग्रस्त में

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत अंकित राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में से उनका नाम हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 को पैतृक खातेदारी भूमि में जन्मजात (बाई बर्थ) अधिकार होने से प्रत्येक का 1/7—1/7 भाग की घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावें तथा अमल दरामद किया जावें एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अनाधिकृत रुप से दखलन्दाजी नहीं करें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
ओहदा........ चौमूं, जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner